न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 159/2022

उनवान

1. श्रीमती सुशीला बापना पत्नी श्री सुनील कुमार बापना नि0 नेवरिया तह0 राशमी जिला चित्तौडगढ।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र श्री मांगी लाल अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
2. ऐजी पत्नी श्री धारी अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
3. किशन पुत्र श्री धारी अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
4. गटू पुत्री श्री धारी अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
5. देउ कुमार पुत्री श्री लादू लाल माता नन्दू अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
6. नारायण पुत्र श्री धारी अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
7. प्रेम पुत्री श्री धारी अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
8. रीता पुत्री श्री धारी अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
9. भंवर पुत्र श्री नन्दा अहीर नि0 रामतपुरिया तह0 हमीरगढ।
10. मांगू पुत्र श्री नन्दा अहीर नि0 रामतपुरिया तह0 हमीरगढ।
11. चांदी पत्नी श्री खेमा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
12. शाति लाल पुत्र श्री खेमा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
13. सीताराम पुत्र श्री खेमा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
14. जगु पुत्री श्री छोगा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
15. नारायण पुत्र श्री छोगा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
16. परथू पुत्र श्री छोगा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
17. रतन पुत्र श्री छोगा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
18. रामचन्द्र पुत्र श्री छोगा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
19. लाली पुत्री श्री छोगा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
20. शंकर पुत्र श्री छोगा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
21. सोसर पत्नी श्री छोगा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
22. नारायण लाल पुत्र श्री रूपा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
23. बदाम देवी पत्नी श्री रूपा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
24. रतन लाल पुत्र श्री रूपा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
25. रामेश्वर लाल पुत्र श्री रूपा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
26. रामा पुत्र श्री देवा अहीर नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 08.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.12.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम औज्याडा प.ह. औज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 912 के आ.न. 154/1 रकबा 0.0253है0, आ.न. 157/1 रकबा 0.1391है0, आ.न. 160/1 रकबा 0.0379है0, आ.न. 2490/155 रकबा 0.2440है0, आ.न. 2492/156 रकबा 0.4257है0, आ.न. 2498/177 रकबा 0.0170है0, आ.न. 2500/162 रकबा 0.0170है0, आ.न. 2506/162 रकबा 0.0170है0 कुल किता 08 रकबा 0.9230है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.12.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 26 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम औज्याडा प.ह. औज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 912 के आ.न. 154/1 रकबा 0.0253है0, आ.न. 157/1 रकबा 0.1391है0, आ.न. 160/1 रकबा 0.0379है0, आ.न. 2490/155 रकबा 0.2440है0, आ.न. 2492/156 रकबा 0.4257है0, आ.न. 2498/177 रकबा 0.0170है0, आ.न. 2500/162 रकबा 0.0170है0, आ.न. 2506/162 रकबा 0.0170है0 कुल किता 08 रकबा 0.9230है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ